ZEE BID TO CLOSE SONY MERGER IN THE MIDST OF INSOLVENCY BATTLE

Zee promoter Punit Goenka is battling hard to complete the Sony merger in the midst of the insolvency battle.

The Mumbai Bench of the National Company Law Tribunal (NCLT) admitted an insolvency petition media company Zee Entertainment Enterprises filed by its financial creditor IndusInd Bank, under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).

IndusInd Bank, in its plea, claimed a default of Rs 83.08 crore against the media and entertainment firm promoted by Subhash Chandra.

But in a major relief to media major Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL), the National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on Friday stayed the insolvency proceedings initiated against it earlier this week.

Zee, a household TV name in India that was set up in 1992, had a network share of 16.2% as of December. It competes with Disney's Star India and Reliance Industries Viacom18, and its planned merger with Sony's India unit will create a $10 billion behemoth.

Zee shares rose as much as 3.1% on the news and were last up 1.2%.

"Our focus continues to be on the timely completion of the proposed merger," Punit Goenka, Zee's chief executive said after the decision.

Zee had acted as a guarantor for loans availed by a sister company, and India's IndusInd invoked the

दिवालियापन की लड़ाई के बीच सोनी के साथ शीघ्रता से विलय पूरा करना चाहता है जी

जी के प्रवर्तक पुनीत गोयनका दिवालियापन की लड़ाई के बीच सोनी के साथ विलय को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई बेंच ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की धारा 7 के तहत अपने वित्तीय लेनदार इंडसइंड बैंक द्वारा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज पर दायर एक इनसॉल्वेंसी याचिका को स्वीकार कर लिया है।

इंडसइंड बैंक ने अपनी याचिका में सुभाष चंद्रा द्वारा प्रवर्तित मीडिया और मनोरंजन कंपनी के खिलाफ 83.08 करोड़ रुपये का डिफॉल्ट का दावा किया है।

लेकिन मीडिया प्रमुख जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जेडईईएल) को एक बड़ी राहत देते हुए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने हाल ही में इसके खिलाफ शुरू की गयी दिवाला कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

जी को भारत में घरेलू टीवी के रूप में जाना जाता है जिसे 1992 में स्थापित किया गया था, दिसंबर तक इसकी नेटवर्क हिस्सेदारी 16.2% थी। यह डिज्नी के स्टार इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के वायकॉम 18 के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है और सोनी के भारत इकाई के साथ इसका नियोजित विलय 10 अरब डॉलर का विशालकाय होगा।

इस ख़बर से जी के शेयरों में 3.1% की उछाल आयी, जो कि पिछली बार 1.2% था।

इस फैसले के बाद जी के मुख्य कार्यकारी अधिकार पुनीत गोयनका ने कहा 'हमारा ध्यान प्रस्तावित विलय को समय से पूरा करने पर है।'जी ने अपनी सहयोगी कंपनी द्वारा दिये गये ऋण के लिए एक गारंटर के रूप में

guarantee alleging default on payment, exchange filings show.

Zee disputed its liability in the tribunal saying, according to them the liability did not meet the threshold for initiating insolvency proceedings.

Zee's best case would be to get 90 percent of the creditors to come on board and pull the case out of the NCLAT. A possible scenario is that the bank may not be getting a good deal post the Zee-Sony merger and hence decided to move to the NCLT.

PUNIT GOENKA

Alternatively, Zee may request its creditors to give IndusInd Bank a better deal in the resolution and persuade the lender to withdraw the case from NCLT. This is possible if 90 percent of the creditors agree to the same.

Brokerage firm UBS has maintained its buy rating on Zee Entertainment with a price target of Rs 350. The brokerage says that while the amount is not material, it can delay the merger process further. It also lists options for Zee, which includes an appeal before the NCLAT to set aside this order, or to settle pending dues in the interest of completing the merger.

"These amounts have largely already been provided in Zee's books, and therefore, we believe any potential settlement is not likely to result in any material P&L impact," the note said. ■

काम किया था और भारत के इंडसइंड ने भुगतान पर चूक का आरोप लगाते हुए एक्सचेंज फाइलिंग शो के तहत गारंटी की मांग की थी। जी ने हालही में ट्रिब्यूनल में अपने आवेदन में अपनी देनदारी पर वाद–विवाद करते हुए करते हुए कहा कि उनके अनुसार दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए देयता सीमा को पूरा नहीं करती है।

जी के लिए सबसे अच्छा मामला 90 प्रतिशत लेनदारों को बोर्ड पर लाने और मामले को एनसीएलटी से बाहर निकालने का होगा। एक संभावित परिदृश्य यह है कि जी–सोनी विलय के बाद बैंक को एक अच्छा सौदा नहीं मिल रहा है और इसलिए उसने एनसीएलटी में जाने का फैसला किया है। वैकल्पिक रूप से जी अपने लेनदारों से अनुरोध कर सकता है कि वे इंडसइंड बैंक को समाधान में बेहतर सौदा दें और ऋणदाता को एनसीएलटी से मामला वापस लेने के लिए राजी कर लें। यह तभी संभव है जबकि 90 प्रतिशत लेनदार इससे सहमत हों।

ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस ने जी एंटरटेनमेंट पर 350 रुपये के मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी खरीदारी रेटिंग बनाये रखी है। ब्रोकरेज का कहना है कि राशि भौतिक नहीं है, यह विलय प्रक्रिया में और देरी कर सकती है। पर जी के लिए विकल्पों को भी सूचीबद्ध करता है, जिसमें एनसीएलटी के समक्ष इस आदेश को रद्द करने या विलय को पूरा करने के हित में लंबित बकाया राशि का निपटान करने के लिए एक अपील शामिल है।

नोट में कहा गया है कि 'यह राशि काफी हद तक पहले से ही जी के पुस्तकों में प्रदान की जा चुकी है, और इसलिए, हम मानते हैं कि किसी भी संभावित निपटान के परिणामस्वरूप किसी भी भौतिक पी एंड एल प्रभाव की संभावना नहीं है। ■

INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY

SATELLITE & Cable TV
MAGAZINE

- In-depth & Unbiased Market Information
- Technology Breakthroughs
- Reaches More Than 40,000 Personnel Across The Satellite & Cable TV Industry every month

... You Know What You are doing
But Nobody Else Does

ADVERTISE NOW !

Contact: Mob.: +91-9108208956 Tel.: +91-22-6216 5317 Email: geeta.lalwani@nm-india.com